समाहरणालय, सुपौल
(आपदा प्रबंधन कार्यालय)
निविदा

संभावित बाढ़/सुखाड़/आपदा 2018 से निपटने हेतु पशुचारा (गेहूँ का भूसा) की आवश्यकता को दृष्टगत करते हुए निविदा की शर्त्तों में सुधार करते हुए पशुचारा की आपूर्ति हेतु इच्छुक फार्मो/ प्रतिष्ठानों /कृषकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक 05.05.2018 को 1.00 बजे अपराह्न तक मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी 05.05.2018 को अपराह्न 3.00 बजे निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें प्रत्येक निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

क्र०	समग्रियों का विवरण	विवरणी
1	2	3
1	सूखा पशुचारा (गेहूँ का भूसा)	दर प्रति क्वीं० (ढुलाई सहित)

निविदा की शर्त –

निविदा डालने हेतु निम्नांकित शर्तों का अनुपालन आवश्यक है –

1. सुखा चारा आयकर के अन्तर्गत नहीं है; अतः निविदादाता पेन कार्ड/आधार कार्ड / फोटोयुक्त बैंक खाता में से कोई एक की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करेंगे।
2. निविदादाता को सुरक्षित जमा राशि के रूप में मात्र 3000.00 (तीन हजार) रूपये बैंक ड्राफ्ट/ नाजीर रसीद द्वारा जमा करना वांछित होगा।
3. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
4. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के उपरांत उचित गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सूखा पशुचारा की आपूर्ति निश्चित् रूप से कर देंगे।
5. पशुचारा की आपूर्ति आवश्यकतानुसार दिये गये आदेश के आलोक में निर्धारित स्थल पर करना होगा इसके लिए अलग से भाड़ा/ परिवहन देय नहीं होगा।
6. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. सूखा पशुचारा की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़ कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
9. उक्त निविदा की शर्तें मात्र सुखा पशुचारा के लिए ही वैद्य होगा।

विस्तृत जानकारी जिला पदाधिकारी, सुपौल के वेवसाईट http://supaul.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी
सुपौल
2014/18
जिलाधिकारी
सुपौल